

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

## सूचना

दिनांक:- 16-1-19

क्रमांक 298 /टीसी/69/शिवपुरी/उपां/नगानि/2018 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क के उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट शिवपुरी विकास योजना 2001में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

### अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	नोहरी खुर्द शिवपुरी	462,	5.518	कृषि	आवासीय (प्रधान मंत्री आवास योजना हेतु)
		464, में से	0.330		
		465, में से	1.000		
		466,	0.209		
		467,	0.418		
		468,	0.178		
		471,	0.637		
		472,	0.052		
		473,	0.073		
		492 में से	3.702		
	योग:-	12.117 हेक्टर			

टीप- ग्राम नोहरी खुर्द के खसरा क्रमांक 472 की भूमि में विद्यमान कुआ योजना में यथावत रखा जाना आवश्यक होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय गुन्जा तथा वेबसाइट [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, गुन्जा को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(राहुल जैन)

संचालक